—:अनौपचारिक टिप्पणीः—

विषयः— आगामी विधानसभा बजट सत्र हेतु विभागीय प्रतिवेदनों की सूचनाएं भिजवाने बाबत्।

संदर्भः— आपका पत्र क्रमांकः— वीएस/प्र.प्र./2024—25/231 दिनांक 25.11.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, जयपुर से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन संलग्न कर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सहित भिजवाया जा रहा है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

संयुक्त आयुक्त
आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण
राजस्थान, जयपुर।

वीएसओं अनुभाग
मुख्यालय।

क्रमांकः— आयु.खा.सु.औ.नि/सांख्यिकी/2024/
दिनांकः—

आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण

❖ **प्रस्तावना::–**

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021–22 की अनुपालना में शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प022(01)चिस्वा/2/2021 दिनांक 08.10.2021 के द्वाराDirectorate of Food Safetyबनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा 01 जनवरी 2022 से आयुक्त के पद पर आई.ए.एस. अधिकारी पदस्थापित किये गये।

तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 की अनुपालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांक :प.14(1) चिस्वा/2/2022 जयपुर दिनांक 05.04. 2022 खाद्य सुरक्षा निदेशालय एवं औषधि नियन्त्रण संगठन का आमेलन करते हुए आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण कर दिया गया है।

आयुक्तालय में इस प्रकार 02 विंग यथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण कार्य कर रही है। इन विंग का कार्य निम्न प्रकार संचालित किया जाता है :–

लाईसेन्सिग गतिविधि :– उक्त गतिविधि में संबंधित व्यवसायी से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर एक्ट के अनुसार लाईसेन्स दिये जाने एवं नवीनीकरण का कार्य नियमानुसार किया जाता है।

एनफोर्समेन्ट गतिविधि :– उक्त गतिविधि में तीन तरह की कार्यवाही की जाती है यथा : सैम्पलिंग, निरीक्षण एवं सीजर की कार्यवाही।

आईईसी :– राज्य की जनता को जागरूक करने के उददेश्य से विभिन्न प्रकार की आईईसी गतिविधियां भी संचालित की जा रही है, यथा :– अखबार में विज्ञापन, एफएम रेडियो पर जिंग्लस के माध्यम से प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार, होर्डिंग्स लगाना, पोस्टर्स एवं पम्पलेटस का वितरण इत्यादि कार्यवाही की जाती है।

खाद्य सुरक्षा विंग का मुख्य कार्य :–

- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 में निहित प्रावधानों अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना पूर्णतया प्रतिबंधित है।
- 05.08.2011 से खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 प्रारम्भ हो गया है, जिसके अर्न्तगत कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को भारत सरकार से प्राप्त नवीनतम दिशा–निर्देशानुसार खाद्य पदार्थो की जांच एवं गुणवत्ता बनाये रखने हेतु तथा मिलावटियों को दण्डित करने हेतु दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये है।

❖ **फूड लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन::–**

- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 के तहत प्रत्येक खाद्य कारोबारी को खाद्य लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है अन्यथा खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
- 12 लाख रूपये से कम प्रति वर्ष टर्नओवर वाले खाद्य कारोबारी के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है जिसका शुल्क 100 रूपये प्रतिवर्ष है।
- 12 लाख रूपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले खाद्य कारोबारी के लिए खाद्य लाईसेंस का प्रावधान है, जिसका शुल्क 2000 रूपये से 7500 रूपये तक वार्षिक है।

❖ **मिलावटियों के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान::–**

- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की **धारा 51 के** अन्तर्गत **अवमानक (Substandard)**पाये गये प्रकरणों में अधिकतम **5.00 लाख रूपये तक** की जुर्माना का प्रावधान हैं तथा प्रकरण को संबंधित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के यहॉ पेश किया जाता है।
- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की **धारा 52 के** अन्तर्गत अपमिश्रित**(Misbranded)**पाये गये प्रकरणों में अधिकतम **3.00 लाख रूपये** तक की जुर्माना का प्रावधान हैं तथा प्रकरण को संबंधित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के यहॉ पेश किया जाता है।
- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की **धारा 53 के** अन्तर्गत भ्रामक**(Misleading)**पाये गये प्रकरणों में अधिकतम **10.00 लाख रूपये** तक की जुर्माना का प्रावधान हैं तथा प्रकरण को संबंधित अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के यहॉ पेश किया जाता है।
- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की **धारा 59 के** अन्तर्गत असुरक्षित **(Unsafe)**पाये गये प्रकरणों में **6 माह** से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा एवं **10.00 लाख** रूपये तक की जुर्माना प्रावधान हैं तथा प्रकरण को संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहॉ पेश किया जाता है।

❖ **जांच हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की व्यवस्था::–**

- वित्तीय वर्ष 2022–23 की बजट घोषणा में राज्य में 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद स्वीकृत किये गये है, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। नियुक्ति हेतु अन्तिम निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उपरान्त किया जायेगा।
- पूर्व में स्वीकृत 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर विचाराधीन है।
- बजट घोषणा वर्ष 2023–24 द्वारा 100 अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों की वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें केन्द्र के समान राज्य में शैक्षणिक योग्यता निर्धारण हेतु प्रशासनिक विभाग से परामर्श चाहा गया है।
- नियमित 298 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के उपलब्ध होने तक वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत् सभी जिलों में विभाग के विभिन्न संवर्गो के 97 कर्मचारियों को **खाद्य सुरक्षा अधिकारी**की शक्तियॉ प्रदत्त कर कार्यक्षेत्र आवंटित किया गया है। प्रत्येक अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी को माह में 10 एनफोर्समेन्ट नमूनें एवं 30 सर्विलेन्स नमूनें लिये जाने व 15 संस्थानों के निरीक्षण का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 के तहत भौतिक कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार हैः–

Year	No. of Inspections	Samples Taken	Fail Sample	No. Of Subbmit In ADM Court	No. Of Decided In ADM Court	Penalty
2023-24	**19847**	**34062**	**3565**	**3663**	**2212**	**11.5 crore**
2024-25 (Till November 2024)	**12288**	**25620**	**2587**	**2465**	**2128**	**7.85 crore**

❖ **मिलावटखोरों के विरूद्ध विभाग की विशेष उपलब्धियांः–**

- वित्तीय वर्ष 2023–24 के लक्ष्य 5880 के विरूद्व एन्फोर्समेन्ट नमूनीकरण 16691 (284 प्रतिशत) प्राप्त कर, राजस्थान भारत में **प्रथम स्थान** पर रहा है।
- राजस्थान राज्य द्वारा 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया जिसमे लगभग 2284 खाद्य संस्थानो का निरीक्षण किया गया जिसके तहत आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण को वर्ल्ड बूक ऑफ रिकोर्डस लंदन द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया।
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी स्टेट फूड सेफटी इन्डेक्स 2023–24 में राजस्थान राज्य का 06वां स्थान रहा है।
- मिलावटखोरो को सजा दिलवाने हेतु राज्य में 11 एवं 12 नवम्बर, 2024 को अभियान चलाया गया, एवं दो दिवस में एडीएम एवं सीजेएम कोर्ट में 527 चालान कोर्ट में प्रस्तुत किये गये , जो एक रिकॉर्ड है।

❖ **जांच व्यवस्थाः:–**

- खाद्य प्रयोगशाला आधारभूत संरचना के मामले मे एफएसएसआई नई दिल्ली द्वारा राज्स्थान राज्य को **प्रथम स्थान** प्रदान किया गया।
- राज्य में कुल 11 जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बांसवाडा, जालोर व चूरू) स्थापित है, ये सभी 11 जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं NABL accreditated है एवं कार्यशील है।
- बजट घोषणा की पालना में राज्य में 07 जिलों यथा सीकर, बारां, धौलपुर, नागौर, श्रीगंगानगर, भीलवाडा एवं बाडमेर में जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की क्रय करने की कार्यवाही एवं स्वीकृत पदों की भर्ती होने पर शीघ्र क्रियाशील हो जायेगी।
- राज्य मे 34 मोबाईल खाद्य प्रयोगशालाये संचालित है, जिनके माध्यम से मोके पर ही खाद्य पदार्थो की स्पॉट जॉच की जाती है। तथा साथ ही आम नागरिकों को मिलावट के प्रति जागरूक किया जाता है तथा मौके पर खाद्य कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही की सुविधा उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार खूले मे खाद्य सामग्री नही बेचने के लिये लगभग 30,000 खाद्य व्यापरीयो का आमूखीकरण किया गया।
- राज्य मे फल एवं सब्जियों में **हैवी मेटल एवं पेस्टी साईड की जॉच** हेतु उपकरण, जॉच सामग्री केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में स्थापना कर दी गई है एवं जयपुर में 2019 से हैवी मेटल एवं पेस्टी साईड की जॉच प्रारम्भ की जा चुकी है। व अन्य दो प्रयोगशालाओं में वर्तमान में हैवी मेटल एवं पेस्टी साईड की जॉच प्रारम्भ की जा रही है।
- वर्तमान में राज्य की विभिन्न जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में कुल 11 खाद्य विश्लेषक कार्यरत है एवं 10 खाद्य विश्लेषकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है।
- जांच प्रयोगशालाओं के सुदृढिकरण हेतु 35 ट्रेनी ऐनालिस्ट के पद स्वीकृत है तथा ट्रेनी ऐनालिस्ट प्रयोगशालाओं में जॉच कार्य कर रहें है। जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में एफएसएसएआई के द्वारा एमओयू वर्क प्लान के अर्न्तगत आवंटित फंड राशी द्वारा संविदा पर कार्मिक कार्यरत है।

- जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर व जोधपुर में भी GCMS(MS), LCMSMS, ICPMS की स्थापना हो चुकी है तथा उक्त उपकरणों पर जाँच कार्य किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (कोटा, अजमेर, अलवर, बीकानेर व बांसवाडा) में जाँच हेतु GC व अन्य उपकरण उपलग्ध कराये गये है।
- राज्य मे एक मात्र माईक्रोबायोलोजी (जीवाणु संबधी) पैरामीटर की जांच करने हेतु नवीनतम तकनीक व आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर मिलावट की रोकथाम करने के उद्देश्य से राज्य केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर में एफएसएसएआई, नई दिल्ली के सहयोग से ट्रंकी बेसिस पर 01 नई माईक्रोबायोलोजी प्रयोगशाला का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं उपकरण स्थापित हो चुके है, मानव संसाधन उपलब्ध करवा दिये गये है।

❖ **जांच रिपोर्ट की समय सीमाः:–**

- खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 में प्रयोगशालाओं में प्राप्त खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट जारी करने की अवधि 14 दिवस निर्धारित है, प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य नमूनों की जाँच रिपोर्ट निर्धारित अवधि में जारी की जा रही है।

❖ **विशेष अभियानः:–**

- **समय–समय पर विशेष अभियान चलाकर भी क्षेत्र में मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री/निर्माण को रोकने की कार्यवाही की जाती है।**

- वर्तमान में ''शुद्ध आहार मिलावट पर वार'' अभियान 15 फरवरी, 2024 से निरन्तर संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विशेष अवसरों एवं त्यौहारों जैसे दिपावली, होली, ग्रीष्म ऋतु एवं पर्यटन सीजन के साथ–साथ होटलों एवं रेस्टोरेन्टों के निरीक्षण हेतु विशेष अभियान चलाये जा रहे है।

- वर्तमान वर्ष से कोमोडिटी बेस अभियान भी चलाना प्रारम्भ किया गया है।

❖ **अन्य बिन्दु**

- **खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण** :–राज्य में खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, क्रियाशील है तथा अधिकरण में माननीय न्यायाधीश पदस्थापित है।

- **राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय एडवाईजेरी कमेटी :**–राज्य में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय एडवाईजेरी कमेटी संचालित है

➢ **मुखबिर योजना**

- राज्य सरकार द्वारा नवाचार करते हुए राज्य में **''शुद्ध के लिए युद्ध–मुखबिर योजना 2022''** दिनांक 10 अक्टुबर 2022 से लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखते हुए नमूने अनसेफ पाये जाने पर मुखबिर को 51000 व सबस्टैण्डर्ड पाये जाने पर 5000 का पुरस्कार लेब की अंतिम रिपोर्ट पर दिये जाने का प्रावधान है।

राज्य में 2024–25 में आयोजित की जा रही गतिविधियां :–

- राज्य 617 लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन केम्प आयोजित किये गये है।
- राज्य में Eat Right School Initiative के अन्तर्गत 100 विद्यालयो की FSSAI से सर्टिफिकेशन किया जा रहा है।
- राज्य में Eat Right Place of Worship के अन्तर्गत 25 FSSAI से सर्टिफिकेशन किया जा रहा है।
- राज्य में Eat Right Clean Street Food Hub के अन्तर्गत 10 FSSAI से सर्टिफिकेशन किया जा रहा है।
- राज्य में Eat Right Campus के अन्तर्गत 50 FSSAI से सर्टिफिकेशन किया जा रहा है।

- राज्य में Eat Right Station के अन्तर्गत 20 FSSAI से सर्टिफिकेशन किया जा रहा है।
- 1200 High Risk Food Business Audit कराई जा रही है।
- राज्य में 600 FoSTaC Training के तहत प्रशिक्षण कराई जावेगी।

खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011

वर्ष 2024–25 की संक्षिप्त सूचना

1	आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)	आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)–आईएएस
2	अभिहित अधिकारियों की संख्या (Designated Officer)	34
3	खाद्य प्रयोगशालाऐं **(जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बांसवाडा, बीकानेर, भरतपुर, चूरू एवं जालौर)**	11
4	मोबाईल खाद्य प्रयोगशालायें	34
5	माईक्रोबायोलोजी (जीवाणु संबधी)	01
6	खाद्य विश्लेषको की संख्या	11
7	खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कुल स्वीकृत पद (FSO)	398
8	वर्तमान में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संख्या (FSO)	97
9	वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रिक्त पद (FSO)	301
10	राज्य में अब तक जारी किये गये खाद्य लाईसेन्सो की संख्या	36062
11	राज्य में अब तक जारी किये गये खाद्य रजिस्ट्रेशनों की संख्या	274160
12	अब तक खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्सों से कुल प्राप्त राशि (रूपये में)	155946700/–
13	राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिये गये नमूनों की संख्या	25620
14	राज्य में सबस्टैण्डर्ड, मिसब्राण्डेड व अनसैफ पाये गये नमूनों की संख्या	2587
15	मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण/चालानों की संख्या	2465
16	मा0 न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों की संख्या	2128
17	मा0 न्यायालय द्वारा लगाई गई शास्ति राशि (रूपये में)	78482600/–

नोटः– प्राप्त सूचनाओं के अनुसार।

औषधि नियंत्रण विंग की उपलब्धियां :–

- राज्य में वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण, ब्लड सेन्टर एवं विक्रय इकाईयों के कुल 23199 निरीक्षण किये गये, तथा अनियमितताएं पाये जाने पर 459 विक्रय अनुज्ञा पत्रों को निरस्त एवं 4400 विक्रय अनुज्ञा पत्र निलम्बित किए गये तथा गुणवत्ता कि जाचं हेतु कुल 6293 नमूने लिये गये तथा जाचं उपरांत कुल 139 नमूने अवमानक कोटि के घोषित हुए।

- राज्य में वर्तमान में कुल 437 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र संचालित है। राज्य में नई सरकार के गठन उपरांत कुल 236 नये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोले गये। जबकि पूर्वर्ती सरकार के कार्यकाल में 201 जन औषधि केन्द्र ही संचालित थे। राज्य की देश में 9वीं रैंक है।

- औषधि नियंत्रण विंग के द्वारा नशे के रूप में औषधियों में दुरूपयोग को रोकने हेतु वर्ष 2024 में 01 संभाग स्तरीय एवं 03 राज्य स्तरीय विशेष अभिमान चलाये गये। अभियान के दौरान कुल 3931 फर्मो के निरीक्षण किये जाकर कुल 74.70 लाख रूपयें मुल्य की औषधियां जब्त की गई तथा निरीक्षण की गयी फर्मों में से औषधियो के क्रय–विक्रय में अनियमितता पाये जाने पर 44 फर्मो के लाइसेंस निरस्त किये गये एवं 1265 फर्मो के लाइसेंस निलम्बित किये गये । आयुक्तालय के अधिकारीयो ने नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही कर एनडीपीएस श्रेणी की औषधियो को जब्त करते हुए एक मनोचिकित्सक को गिरफ्तार किया गया।

- आमजन को गुणवत्तायुक्त औषधियां उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में जयपुर, उदयपुर, बीकानेर एवं जोधपुर में राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला निर्मित है तथा राजस्थान देश का प्रथम राज्य है, जहॉ इस प्रकार की 4 प्रयोगशालाए है। इन प्रयोगशालाओं के सचांलन के लिये 9 सहायक औषधि विश्लेषकों को नियुक्त किया गया है।

- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की औषधि नियंत्रण विंग के द्वारा किये गये अन्य विभिन्न कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2024–2025 (अप्रेल 2024 से नवम्बर 2024 तक)
01	राज्य में कुल निर्माण इकाईयां :– बल्क ड्रग/फारमुलेशन/मेडिकल डिवाइस, लोन लाइसेंस इत्यादि	462
02	राज्य में कुल ब्लड सेन्टर (राजकीय ब्लड सेन्टर (–65, निजी एवं ट्रस्ट–194)	259
03	राज्य में कुल ब्लड स्टोरेज सेन्टर	140
04	राज्य में कुल विक्रय ईकाइयां	62425
05	निर्माण, ब्लड सेन्टर एवं विक्रय इकाईयों के कुल निरीक्षण	15038
06	कुल नमूने जांच हेतु लिये गये	4339
07	जांच रिपोर्ट प्राप्त	4061
08	अवमानक घोषित	76
09	विक्रय लाईसेंस निरस्त किये गये (कमियां पाये जाने के कारण)	412
10	विक्रय लाईसेंस निलम्बित किये गये	2958
11	राज्य के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन कुल वाद	1123